

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक ०२ / 50 / आउशि / योजना / 2023

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक ०२ / ०५ / 2024

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबंधित शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय:- छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों के लिये स्वीकृत अस्थाई राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों को दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक निरंतरता प्रदान करने की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ:- छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-16/2018/38-1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22.03.2024.

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा 316 शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत 7142 अस्थायी पदों को दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक निरंतर रखने की स्वीकृति वित्त विभाग के कंप्यूटर क्रमांक एफ-2022-38-00219, दिनांक 21.03.2024 के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति के आधार पर प्रदान की गई है।

अतः उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र की प्रति आपकी ओर सलंगन कर सूचनार्थ प्रेषित।

सलंगन :- उपरोक्तनुसार

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक (जे)
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर अटलनगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर

क्रमांक एफ 3-16/2018/38-1
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 MAR 2024

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत अस्थायी पदों की निरंतरता की स्वीकृति।

राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार 316 शासकीय महाविद्यालयों हेतु स्वीकृत 7142 अस्थायी पदों को दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त पदों पर होने वाला व्यय निम्न शीर्षकों में विकलनीय होगा :-

स. क्र.	मांग संख्या	शीर्षक	महाविद्यालयों की संख्या	अस्थायी पदों की संख्या
1	मांग संख्या-44	उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना	196	4183
2	मांग संख्या-41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-(0102)-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-(798)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, आयोजना	103	2582
3	मांग संख्या-64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-2201-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-(0103)-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-(798)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, अनुसूचित जाति उपयोजना, आयोजना	17	377
कुल योग			316	7142

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-38-00219, दिनांक 21.03.2024 द्वारा प्रदान की गई है।

//2//

उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालयों को प्रद निरंतरता की स्वीकृति से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।
संलग्न:- (पृष्ठ 179 से 249 तक)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान)

अवर सचिव,

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 3-16/2018/38-1

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक /03/2024

प्रतिलिपि: -

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, रायपुर (छ.ग.)।
 2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
 3. समस्त जिला कोषालय, अधिकारी, छत्तीसगढ़.....
 4. आदेश फोल्डर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव,

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग